हुक्म	बनवारी बनाम बहादुरसिंह हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा० पत्र 9 R13 CPC मुता० 20/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
...2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय/आदेश नहीं लिखाया जा सका। वास्ते पुनः बहस पत्रावली दिनाक 29.09.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
...9.09.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 03.11.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
03.11.2022	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 98/2020 उनवानी प्रकरण बहादुरसिंह बनाम बनवारी वगै0 में पारित निर्णय व एक पक्षीय डिक्री दिनांक 24.02.2022 को अपास्त की जाती है तथा उनवानी प्रकरण बहादुरसिंह बनाम बनवारी वगै0 मूल वादपत्र को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारान् को सुनवाई एंव जवाब देही का समुचित अवसर दिया जाता है। मूल वादपत्र को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 24.11.2022 नियत की जाती है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] किया गया। निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 03/11/22 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
20/2022	2020/0076	22.03.2022	03.11.2022

उनवान

बनवारी पुत्र लकड़िया उम्र 54 साल जाति मीणा निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––वादीगण

बनाम्

1. बहादुरसिंह पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
2. पटवार हल्का सांवलपुरा–तंवरान, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––अप्रार्थीगण

4. औमप्रकाश पुत्र लकड़िया, जाति मीणा निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––तरतीबी अप्रार्थी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

उपस्थित–

श्री दीपक वाजिया एड0, वादी अभिभाषक।
श्री सरदार सिंह चौधरी एड0, अप्रार्थी [illegible] की ओर से
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

03/11/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 24.02.2022 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) उनवानी मुकदमा बहादुरसिंह बनाम बनवारी आदि मुकदमा नम्बर 98/2020 जीसीएमएस 2020/165, दायर दिनांक 19.10.2020

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 24.02.2022 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर द्वारा उनवानी प्रकरण बहादुरसिंह बनाम बनवारी आदि मुकदमा नम्बर 98/2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1040 रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसकी पूर्वकाल से खातेदारी राजस्व रिकार्ड व कब्जा काश्त आधिपत्य बईल्म आगाही प्रार्थी बनवारी एवं तरतीबी अप्रार्थी ओमप्रकाश का निरन्तर निर्विघ्न रूप से अप्रार्थी के नाम चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर पूर्णतया काबिज व आबाद है किन्तु अप्रार्थी नम्बर 1 बहादुरसिंह काफी चालाक व्यक्ति है। जिसकी नजरे गरीब व असहाय कमजोर व्यक्तियो की कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमियो को हमेशा हड़पने के प्रयोजन से लगी रहती है। अप्रार्थी नम्बर 1/वादी ने दिनांक 19.10.2020 को बाला–बाला माननीय न्यायालय हाजा में वास्तविक तथ्यो को व भौतिक स्थितियो को छिपाते हुये व मिथ्या अभिकथन करते हुये प्रार्थी की तामील सम्यक रूप से कराये बिना व प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना माननीय न्यायालय को मुगालता देकर प्रार्थी की तामील, तामील कुनिन्दा को मिलकर फर्जी तरीके से करवाते हुये, तामील पर मिथ्या व फर्जी रिपोर्ट अंकित करवाली व तामील रिपोर्ट पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

03/11/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तथाकथित अपने निजी व नजदीकी सहयोगियो की तामील पर साक्षी करवा दी। न्यायालय ने तामिलो पर गौर किये बिना ही तामील कुनिन्दा की मिथ्या व फर्जी रिपोर्ट पर गलत रूप से विश्वास करते हुये दिनांक 30.09.2021 को प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी। तत्पश्चात दिनांक 24.02.2022 को बिना वास्तविक तथ्यो की व परिस्थितियो की जांच किये व बिना किसी राजस्व रिकार्ड व राजस्व दस्तावेजो का अवलोकन किये ही प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिकी पारित कर दी। उक्त भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी की खातेदारी अधिपत्य व कब्जे की भूमि होने के कारण उसमे प्रार्थी के विधिक हक हकूक कानूनी रूप से निहित है। प्रार्थी के विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत जाकर पारित की गयी उक्त डिकी व निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्करा सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर है। जिस पर प्रार्थी वक्त बुजुर्गान से काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है। उक्त भूमि से अप्रार्थी नम्बर 1 या दीगर किसी से कोई ताल्लुक कभी भी नही रहा है, ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी नम्बर 1 ने बाला–बाला गुपचुप में न्यायालय में वाद उनवानी "बहादुर बनाम् बनवारी" पेश कर उसमें मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुए तामील कुनिन्दा से मिलकर तामील पर फर्जी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 30.09.2021 को करवायी है। जिसके आधार पर माननीय न्यायालय हाजा ने दिनांक 24.02.2022 को प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिकी पारित की है। उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिकी कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निम्न आधारो पर अपास्त कर खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 24.02.2022 को प्रार्थी के विरूद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय व डिकी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर पुराने 1040 रकबा 2.68 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील [illegible] जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.68 [illegible] तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम 1/2 -- 1/2 हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

07/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

चली आ रही है। अप्रार्थी नम्बर 1 के द्वारा एक वादपत्र बिना किसी आधार के फर्जी एवं बुनाईशी विक्रय पत्र के आधार पर पेश किया। जिसमें प्रार्थी के द्वारा नोटिस जारी किये गये जिसमें तामिल कुनिन्दा ने अप्रार्थी नम्बर 1 से साज करके प्रार्थी के नाम के फर्जी हस्ताक्षर दिनांक 28.12.2020 को करवाकर अपनी रिपोर्ट पेश की गई जबकि प्रार्थी के पास ना तो किसी नोटिस की सूचना किसी भी तामिल कुनिन्दा द्वारा दी गई और ना ही प्रार्थी ने कोई हस्ताक्षर अंगुठा निशानी की। अप्रार्थी नम्बर 1 एवं तामील कुनिन्दा ने आपसी साज करके प्रार्थी के नाम के फर्जी हस्ताक्षर किये है। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी अलग से सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष फौजदारी कार्यवाही अमल में लाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही प्रार्थी तथाकथित नोटिस/रिपोर्ट दिनांक 28.12.2020 पर प्रार्थी के नाम फर्जी हस्ताक्षरो की जांच एफएसएल से करवाने को भी तैयार एवं तत्पर है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रार्थी का भाई ओमप्रकाश तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 जो कि दिनांक 25.12.2009 से लापता है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दिनांक 21.05.2017 को एम.पी.आर. नम्बर 3/2010 थाना रामगंज जयपुर में दर्ज करवा रखी हैं जिसके पश्चात् ओमप्रकाश के वारिसान ने अपने पिता ओमप्रकाश की सिविल मृत्यु की घोषणा का वाद भी सिविल न्यायालय में पेश किया। इसलिये भी ओमप्रकाश के वारिसान को पक्षकार न बनाकर ओमप्रकाश को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया हैं साथ ही दिनांक 28.12.2020 को ही तामील कुनिन्दा ने अप्रार्थी संख्या 1 से साज करके इन्कारी एवं चस्पानगी की रिपोर्ट मिथ्या रूप से सीपीसी के आर्डर 5 रूल 16, 17, 18 सीपीसी के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर फर्जी रिपोर्ट दो गवाहो की मौजूदगी में दिखाकर रिपोर्ट तैयार की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने तामील कुनिन्दा से साज करके गलत रिपोर्ट तैयार की गयी है। जिसके आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.09.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा दिनांक 24.02.2022 को न्यायालय के द्वारा एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित किये गये है जो निरस्तनीय है। वादी/अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत तथाकथित सम्मन की सम्यक रूप से तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है जबकि प्रार्थी/अप्रार्थी नम्बर 1/अप्रार्थी नम्बर 1 को भी उसी दिन तामील होना मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। जो विधि विरूद्ध व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विरूद्ध होने के कारण एकपक्षीय निर्णय व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

02/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

डिकी दिनांक 29.04.2010 अपास्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 1/अप्रार्थी नम्बर 1 की कभी कोई तामील नही हुयी है, ना ही करायी है। वादी/अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा जारी करायी गयी तथाकथित सम्मन पर न तो तहसील कार्यालय की मोहर है, ना ही प्राप्ति है, ना ही डिस्पेच है, ना ही तहसील के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के हस्ताक्षर है। वास्तविक रूप से वादी/अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा तामील की प्रकिया को विधि अनुरूप पूर्ण नही करवाया हैं। जिसके अभाव में उक्त एकपक्षीय डिकी व निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं। तामील कुनिन्दा किस तारीख, किस दिन, किस समय तामील लेकर ग्राम में गया, इसका कोई उल्लेख सम्मन की तामील रिपोर्ट पर नही है व उसने तामील किस तिथि को तहसील कार्यालय में लाकर जमा करवायी, इसका कोई उल्लेख नही हैं। प्रार्थी के नाम सम्मन की पुश्त पर किसी तहसील या उपतहसील की कोई मोहर अथवा डिस्पेच नम्बर नही है। जिसको सही मानकर प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय डिकी व निर्णय पारित किया गया है, जो विधि के कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। तामील कुनिन्दा ने प्रार्थी के तथाकथित सम्मन की पुश्त पर जो तथाकथित तामील रिपोर्ट की है, वह रिपोर्ट अप्रार्थी नम्बर 1 के प्रभाव में आकर उससे साजकर उसके कहे अनुसार की है। जिस पर तथाकथित गवाहान भी अप्रार्थी नम्बर 1/वादी के घनिष्ठ परिचित व मिलने वाले है। जिन्होने अप्रार्थी नम्बर 1/वादी के कहने पर तथाकथित रूप से साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये होना ही प्रकट होता है। तामील कुनिन्दा कभी भी तामील लेकर ग्राम में नही गया, ना ही प्रार्थी के घर पर गया, ना ही प्रार्थी की तामील स्मयक रूप से करवायी गयी तथा सम्मन कभी भी प्रार्थी के घर पर चस्पा नही किया गया। प्रार्थी ने सम्मन लेने से कभी भी इन्कार नही किया। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय डिकी व निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा न्यायालय में बाला–बाला वाद पेश करने व उसमें निर्णय व डिकी कराने की कोई जानकारी प्रार्थी को नही होने दी। प्रार्थी ने जब गांव में डिकी [illegible] [illegible]ये सुनी तो प्रार्थी ने न्यायालय में अविलम्ब आकर दिनांक [illegible] को प्रमाणित [illegible] पत्रावली लेने हेतु विधिवत आवेदन पेश किया। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को दिनांक 16.03.2022 को ही प्राप्त हुयी। जिससे प्रार्थी के विरूद्ध की गयी तामील कुनिन्दा की फर्जीयात के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

02/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पर की गयी एकपक्षीय कार्यवाही व प्रार्थी के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम हुयी। इस प्रकार यह आवेदन मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मामला अचल भू–संपति का है विवादित भूमि में प्रार्थी के वैधानिक हक निहित है। प्रार्थी पूर्वकाल से भूमि का लगातार काबिज खातेदार कृषक शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थी का पूर्ण कब्जा काश्त मौके पर मौजूद है। प्रार्थी को अप्रार्थी नम्बर 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई भी सुनवाई का समुचित अवसर कानूनी प्रावधानानुसार नही दिया गया है। जिस कारण प्रार्थी को समुचित जवाब देही का अवसर भी नही मिल पाया है। तामील कुनिन्दा की फर्जी तामील के आधार पर न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया हैं। इस कारण उक्त एकपक्षीय डिक्री व निर्णय निरस्त कर मूल प्रकरण को नम्बर पर लिया जाकर जवाबदेही का अवसर दिया जाना न्यायहित में न्यायसंगत व आवश्यक है। उक्त एकपक्षीय डिक्री व निर्णय की जानकारी प्रार्थी को अभी गांव मे चर्चा होने पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय में दिनांक 09.03.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन पेश कर दिनांक 16.03.2022 को नकल मिलने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्ण व सर्वप्रथम हुई हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र जानकारी होने से पूर्णतया अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय डिक्री व निर्णय दिनांकित 24.02.2022 मुकदमा उनवानी बहादुरसिंह बनाम बनवारी आदि मुकदमा नम्बर 93/2020 न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर (सीकर) अपास्त किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की जाकर उक्त राजसव रिकार्ड को दावा दायरी के वक्त का बहाल किये जाने के आदेश फरमाया जाकर प्रार्थी को मुकदमा मे जवाब देही एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रा[illegible] प्रा[illegible] पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी[illegible] को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से श्री सरदार सिंह [illegible]री एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3

23/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की नोटिस तामील साधारण तरीके से असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत तामील कुनिन्दा व तहसील जमादार को न्यायालय में तलब किये जाकर करवाई गई तामीलो बाबत परीक्षण करवाने का निवेदन किया। जिस पर तामील कुनिन्दा व तहसील जमादार को न्यायालय में तलब किया जाकर उनके द्वारा तामीलों के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रकिया व तामील दर्ज किये जाने वाले रजिस्टर व तामील भिजवाई जाने वाले रजिस्टर इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी ली गई एंव उनके द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर इत्यादि का गहन अवलोकन किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत इन्द्र सिंह के शपथ पत्र का अवलोकन करते हुए उनसे करवाई गई तामीलों की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में विचार किया गया। इसके उपरान्त प्रकरण में वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया है। जिस पर वकील अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी नम्बर 1/वादी ने दिनांक 19.10.2020 को बाला–बाला माननीय न्यायालय हाजा में वास्तविक तथ्यो व भौतिक स्थितियो को छिपाते हुये व मिथ्या अभिकथन करते हुये प्रार्थी की तामील सम्यक रूप से कराये बिना व प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना माननीय न्यायालय को मुगालता देकर प्रार्थी की तामील, तामील कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तरीके से करवाते हुये, तामील पर मिथ्या व फर्जी रिपोर्ट अंकित करवाने व तामील रिपोर्ट पर तथाकथित अपने निजी व नजदीकी सहयोगियो की तामील पर साक्षी करवाई जाकर न्यायालय ने तामिलो पर गौर किये बिना ही [illegible] की मिथ्या व फर्जी रिपोर्ट पर गलत रूप से विश्वास [illegible] 30.0[illegible] को प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी/अप्रार्थी के [illegible] में बिना वास्तविक तथ्यो व परिस्थितियो की जांच किये बिना किसी राजस्व रिकार्ड व राजस्व दस्तावेजो का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

03/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अवलोकन किये ही प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2022 को खारिज किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. आर.आर.टी. 2018 (1) पेज नम्बर 218
2. आर.आर.टी. 2012 (2) पेज नम्बर 1381
3. आर.आर.टी. 2016 (1) पेज नम्बर 111

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि अप्रार्थी संख्या-1/वादी बहादुर सिंह द्वारा प्रार्थी बनवारी लाल व उसके भाई ओमप्रकाश पुत्रान लकडिया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजीयक नीमकाथाना सीकर के समक्ष दिनांक 04-09-1996 को प्रार्थी बनवारी लाल व उसके भाई ओमप्रकाश द्वारा अप्रार्थी संख्या-1/वादी के हक में निष्पादित किया जाकर उक्त विक्रयशुदा भुमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या-1/वादी को संभलाया गया तथा उक्त क्रयशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1/वादी काबिज काश्त मालिक होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। जिस विक्रय पत्र दिनांक 04-09-1996 के आधार पर अप्रार्थी संख्या-1/वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 19-10-2020 को प्रकरण संख्या 98/2020 उनवानी बहादुर सिंह बनाम बनवारी व अन्य प्रस्तुत किया गया, जो वाद दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस जारी किये गये। बावजूद तामील प्रार्थी बनवारी लाल व अन्य पक्षकार अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार नीमकाथाना से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 714 दिनांक 27-09-2021 के द्वारा तलब की गई तथा उप पंजियक नीमकाथाना सीकर से भी जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा अप्रार्थी संख्या-1/वादी का दावा दिनांक 24.02.2022 को निर्णित किया जाकर डिक्री पारित की गई तथा अप्रार्थी संख्या-1/वादी को विक्रय पत्र दिनांक 04-09-1996 के आधार पर वादी/अप्रार्थी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या-1/वादी बहादुर सिंह द्वारा प्रार्थी बनवारी लाल व उसके भाई ओमप्रकाश पुत्रान लकड़िया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजीयक नीमकाथाना सीकर के समक्ष दिनांक 04-09-1996 को प्रार्थी बनवारी लाल व उसके भाई ओमप्रकाश द्वारा अप्राथी संख्या-1/वादी के हक में निष्पादित किया जाकर उक्त विक्रयशुदा भुमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या-1/वादी को संभलाया गया तथा उक्त क्रयशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1/वादी काबिज काश्त मालिक होकर मौके पर काबिज काश्त रहा है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या-1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की बखूबी जानकारी रही है तथा उक्त वाद के नोटिस भी प्रार्थी पर प्रोपर तामील हुये है तथा बावजूद तामील प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

03/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी की तामील मानते हुये उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में बहस सुनी जाकर व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 24-02-2022 को पारित की गई है, जो विधि अनुसार सही है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1996 कतई फर्जी एवं नुमाईशी विक्रय पत्र नही है। चूंकि अप्रार्थी संख्या–1/वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि के बाबत पड़ौसी खातेदार द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नीमकाथाना सीकर के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं मंसूख किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1996 उनवानी मालाराम बनाम बनवारी व अन्य वाद संख्या 25/1996 का प्रस्तुत किया गया है। जिस वाद में प्रार्थी बनवारी लाल व उसके भाई ओमप्रकाश व अप्रार्थी संख्या–1/वादी बहादुर सिंह अर्थात तीनो पक्षकारो की ओर से एक ही जवाब दावा दिनांक 04.02.1997 को प्रस्तुत किया गया था। जिस जवाब दावे में प्रार्थी बनवारी व उसके भाई ओमप्रकाश व अप्रार्थी संख्या–1/वादी बहादुर के हस्ताक्षर है तथा बनवारी व ओमप्रकाश द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.09.1996 के अप्रार्थी संख्या–1/वादी बहादुर सिंह को विक्रय कर विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा संभलाना स्वीकार किया गया हैं। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र कतई फर्जी एवं नुमाईशी नही है तथा अप्रार्थी संख्या–1/वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हो गये थे तथा उक्त नोटिस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है जो कतई भी फर्जी हस्ताक्षर नही है तथा विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1996 तथा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नीमकाथाना सीकर के समक्ष प्रस्तुत जवाब दावे पर भी प्रार्थी बनवारी के हस्ताक्षर है। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हो गये थे। जिन पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है तथा बावजूद तामील के प्रार्थी अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा विधि अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अप्रार्थी संख्या–1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 24.02.2022 को निर्णय किया जाकर डिक्री पारित की है। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. आर.एल.डब्ल्यू. 2017 (2) पेज नम्बर 1131
2. डब्ल्यू.एल.सी. 2011 (1) पेज नम्बर 418
3. डी.एन.जे. 2017 ...
4. डी.एन.जे. 2014 (4) पेज नम्बर ...3
5. डी.एन.जे. 2016 (1) राज0 पेज नम्बर ...5
6. डी.एन.जे. 2013 (2) राज0 पेज नम्बर ...63

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

07/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर गम्भीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.09.1996, प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामीलात इत्यादि का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी से सम्बन्धित मूल वाद पत्र में प्रतिवादीगण की तामीलों में प्रतिवादी बनवारी की तामील पर बनवारी के हस्ताक्षर अंकित है तथा औमप्रकाश की तामील पर प्रार्थी के मौके पर अनुपस्थित मिलने और घरवालों के नोटिस लेने से मना करने पर नोटिस की एक प्रति उसके खुले मकान पर दो गवाहों के सामने चस्पा किये जाने की रिपोर्ट अंकित है। जिसमें गवाह इन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह गांव हाथीदेह व दातारसिंह पुत्र रिछपाल निवासी हाथीदेह का नाम सम्मन के पृष्ट पर अंकित कर रखा है। जिनके आधार पर प्रतिवादीगण की पर्याप्त तामील मानते हुए उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आधार पर वादपत्र में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया जाना प्रकट होता है। उक्त सम्मन तामीलों के सम्बन्ध में वकील प्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रतिवादी/प्रार्थी बनवारी हस्ताक्षर करना नहीं जानता है तथा प्रार्थी को नोटिस की सूचना किसी भी तामील कुनिन्दा के द्वारा नहीं दी गई और ना ही प्रार्थी बनवारी ने कोई हस्ताक्षर अंगुठा निशानी ही की है। अप्रार्थी संख्या 1 व तामील कुनिन्दा ने आपस में साज करके सम्मन पर प्रार्थी बनवारी के फर्जी हस्ताक्षर किये है तथा तामील कुनिन्दा के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करवा कर सम्मन तामील मिजवाई गई है। इसके साथ ही प्रतिवादी ओमप्रकाश की तामील पर घर पर अनुपस्थित रहने पर घरवालों द्वारा तामील लिये जाने से इन्कार किये जाकर दो गवाहों के नाम अंकित किये है जबकि औमप्रकाश को घर से लापता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

01/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुए काफी वर्ष हो गये है तथा सम्मन की पुष्ठ पर अंकित दोनों गवाहों की जाति भी अंकित नही की गई है एंव ना ही दोनों गवाहान् के हस्ताक्षर ही सम्मन पर होना अवगत कराया है। जिसके सम्बन्ध में गवाह इन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह ने न्यायालय में पेश होकर शपथ पूर्वक कथन किया कि उसके द्वारा हस्तगत प्रकरण में बतौर गवाह तामील नोटिस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किये गये। वही प्रस्तुत दूसरे गवाह दातार सिंह पुत्र रिछपाल सिंह नामक व्यक्ति (ग्राम हाथीदेह के प्रमाण पत्र के अनुसार) उस ग्राम का नहीं पाया गया अर्थात नोटिस चस्पान्दगी के दोनों गवाहों की प्रस्तुत जानकारी गलत प्रतीत होती है।

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में वर्णित अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना— *किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा;*

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित की गई एक पक्षीय डिक्री में प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई सम्मन तामील पर एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से दोनों का अवलोकन कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लघंन होने या नहीं हुआ व प्रतिवादीगण को विधिक प्रकिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

01/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

व प्रावधानों के तहत तामील हुई है या नहीं इस सम्बन्ध में परीक्षण किया जाना है। जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 में स्पष्ट प्रावधान किये गये है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 की पालना की गई है या नहीं इस आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में अन्तिम निर्णय पारित किया जाना होता है। हस्तगत प्रकरण में तामीलात का अवलोकन करने एंव तामील कुनिन्दा व तहसील जमादार की प्रति – परीक्षा की जाने पर एंव गवाह से खुले न्यायालय में पूछताछ करने पर प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण को विधिक प्रकिया व प्रावधानों के तहत तामील नहीं करवाया जाना प्रकट होता है। तामील कुनिन्दा द्वारा उसके स्वंय के स्तर पर ही प्रतिवादी औमप्रकाश के आवास पर नोटिस चस्पा किया जाना तथा तामील के पृष्ठांकन पर तामील कुनिन्दा का नाम व गवाहान् के हस्ताक्षर नहीं होना तथा प्रतिस्थापित तामील हेतु तामील कुनिन्दा द्वारा न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं लिया जाकर तामील कुनिन्दा ने अपने स्तर पर ही चस्पान्दगी से तामील किया जाना नियम 17 के आज्ञापक प्रावधान की पूर्ण पालना नहीं किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत आना पाया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तामील कुनिन्दा द्वारा समुचित व वैधानिक तरीके से तामील नहीं करायी जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए किसी भी पक्षकार को बिना सुने उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है तथा पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रिय[illegible]आदेश ::–

अतः उप[illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का न्याय[illegible] में स्वीकार किये जाने योग्य पाये

02/11/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 98/2020 उनवानी प्रकरण बहादुरसिंह बनाम बनवारी वगै0 में पारित निर्णय व एक पक्षीय डिक्री दिनांक 24.02.2022 को अपास्त किया जाता है तथा उनवानी प्रकरण बहादुरसिंह बनाम बनवारी वगै0 मूल वादपत्र को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारान् को सुनवाई एंव जवाब देही का समुचित अवसर दिया जाता है तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 24.11.2022 को न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक श्रीमाधोपुर में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.16 11:42:53 IST
Reason: SelfAttested